

संख्या- 416 /2026/आर0एफ0-491/नौ-9-2026/002-ई-2026806

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद,  
जौनपुर, जनपद-जौनपुर एवं गौरीगंज, जनपद-अमेठी।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषदों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नगरीय निकायों द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0-37 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि ₹0 629.54 लाख (रूपये छः करोड़ उनतीस लाख चौवन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र) अनुदान संख्या-37, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

## नगर पालिका परिषद

अनुदान संख्या-37

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र0 सं0	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	निकायों से प्राप्त डी0पी0 आर0 के अनुसार कार्यों की प्राक्कलित लागत/प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति	स्तम्भ-(4) के सापेक्ष कार्ययोजना में अनुमोदित धनराशि	प्रथम किशत के रूप में 50 प्रतिशत निर्गत की जा रही धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	नगर पालिका परिषद, जौनपुर, जनपद-जौनपुर	1. मो0 ताड़तला में चौरामाता मन्दिर के सामने बचाउ सेठ के मकान से इजहर के मकान व मजार से स्व0 मुजुर अब्बास के मकान से स्व0 सहजादे के मकान व ए0एन0 मानटेशरी स्कूल से चन्दा बेगम व डायमण्ड आटा चक्की से संजू यादव एडवोकेट व मुख्तार से अंसार के मकान होतु हुए इस्लाम व खालीद से इकबाल अजय से श्रीनाथ व शमसीर व मुजफर अब्बास से ओम प्रकाश कन्हार्य यादव से छब्बन के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	48.05		
		2. वार्ड नईगंज चित्रगुप्त कालोनी में बजरंग यादव के मकान से ओम प्रकाश मौर्या के मकान होते हुए पारस चौरसिया के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	44.25		
		3. मो0 मुरादगंज न्यू कालोनी में मातवर यादव के मकान से मनोरता यादव के मकान होते हुए मन्दिर तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	16.26		
		4. वार्ड नं0 32 मो ककोरगहना में धर्मेन्द्र मौर्या प्रधान के मकान से गणेश मौर्या के घर होते हुए सभासद कार्यालय तक साइडवॉल नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	11.20		
		5. वार्ड वाजिदपुर दक्षिणी में शिवापार मेन रोड अशोक विहार कालोनी में राजू श्रीवास्तव के मकान व मनोज सिंह संजय यादव के मकान होते हुए मंदिर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	36.05		
		6. मो0 फागपुर खास में मनोज कुमार के मकान से राहुल सेठ के मकान होते हुए हैदरपुर रोड तक सी0सी0 रोड व ढकी नाली का निर्माण कार्य।	12.11		
		7. मो0 गोपालपुर (चितरसारी) में केदार सोनकर के मकान से जितेन्द्र सोनकर के मकान एवं मदन सोनकर के मकान से बिन्दु सोनकर के खेत तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	15.09		
		8. वार्ड ईशापुर मो0 बोदकपुर में राजेश श्रीवास्तव के मकान से सलमान ड्रेसेज तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	33.50		
				<b>योग</b>	<b>216.51</b>
2	नगर पालिका परिषद, जौनपुर, जनपद-जौनपुर	1. वार्ड गंगापट्टी मो0 भुवालापट्टी में राकिशुन पटेल के मकान से रवीन्द्र के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	36.67		
		2. वार्ड हुसैनाबाद में सुरेन्द्र सिंह के मकान से जनक कुमारी स्कूल होते हुए टी0डी0 कालेज रोड तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	32.80		
		3. मो0 भौराजीपुर में भरत लाल मौर्या के मकान से बलराम मौर्या के मकान होते हुए व महेन्द्र मौर्या के मकान तक एवं रामाधर मौर्या के मकान से ओम प्रकाश मौर्या के मकान तक सत्यनारायण मौर्या के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	34.74		
		4. मो0 ककोरगहना में कोल्ड स्टोर के सामने से महालक्ष्मी लाज होते हुए आशीष के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	13.19		
		5. मो0 विशेषपुर आजमगढ़ रोड से बेचन मिश्रा के मकान होते हुए गौरव सिंह के मकान तक एवं अंकित जायसवाल के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	45.44		

		6. मो0 अकबर खानपुर शाहगंज रोड पर अजय मौर्या की दुकान से रामजीत मौर्या के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	10.10		
		7. मो0 कलीचाबाद में मुख्य मार्ग से गोमती हास्पिटल के आगे तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	11.93		
		8. वार्ड मतापुर मो0 खरका में राजेंद्र मौर्या के मकान से बौद्ध मंदिर होते हुए फूलचंद्र मौर्या के मकान तक एवं लीलावती भवन के सामने राम आधार के मकान तक सी0सी0 सड़क व दोनों पटरी पर नाली निर्माण कार्य।	28.16		
		<b>योग</b>	<b>213.03</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>
<b>3</b>	नगर पालिका परिषद, गौरीगंज, जनपद-अमेठी	1. वार्ड नं0 03 त्रिभुवन कोरी के घर से राणा प्रताप के घर होते हुए सुरेन्द्र कुमार चौहान के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	58.67		
		2. वार्ड नं0 12 सत्यनारायण गुप्ता के घर से श्यामलाल मौर्या के घर होते हुए गोकुल मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	10.18		
		3. वार्ड नं0 13 काली सड़क खगा पाठक का पुरवा से सूर्यमणी के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	9.32		
		4. वार्ड नं0 16 इण्टरलाकिंग से मोहम्मद शाहिद शैलेन्द्र शुक्ला के घर होते हुए पवन कुमार के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	15.72		
		5. वार्ड नं0 17 अमेठी मेन रोड जलनिगम के बगल से विशाल मिश्र के घर से रामअंजोर मिश्र के घर होते हुए सी0सी0 रोड तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	16.72		
		6. वार्ड नं0 18 खगा पाठक का पुरवा के मोड़ से शिवमन्दिर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	13.10		
		7. वार्ड नं0 19 मनोज द्विवेदी के घर से सुशील द्विवेदी के घर होते हुए राजेश द्विवेदी के घर तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	9.32		
		8. वार्ड नं0 20 मंजू शुक्ल के घर से सुभाष सोनी के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	10.95		
		9. वार्ड नं0 21 पुरनी इण्टरलाकिंग से बब्बू सिंह के घर होते हुए ध्रुव सिंह के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	9.00		
		10. वार्ड नं0 21 राजू सिंह के घर से राघवेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	11.81		
		11. वार्ड नं0 06, 12, 14 में स्ट्रीट लाइट की स्थापना कार्य।	35.21		
		<b>योग</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>
		<b>कुल योग (नगर पालिका परिषद : अनुदान सं0-37)</b>	<b>629.54</b>	<b>600.00</b>	<b>300.00</b>

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बी-4-918/दस-2006-8/1965टी0सी0 दिनांक-21.09.2006 की व्यवस्थानुसार 03 वर्ष के मॉरीटोरियम के पश्चात दस समान वार्षिक किशतों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन द्वारा वापसी सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0/आगणन में प्रस्तावित/प्राक्कलित लागत एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि के अन्तर की धनराशि निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपोजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय का होगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।
- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं एवं मानकों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससयम पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जाएगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- (10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समपबद्ध रूप से सुनिश्चित

किया जाए। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। विद्युत कार्यो के लिये शासनादेश संख्या-1383/ 9-9-14-943/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689-नौ-8-2015-96/2015, दिनांक-20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (14) स्वीकृत कार्यो के लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी।
- (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक- 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (18) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में दिनांक-31.03.2026 तक करते हुए उपयोग दिनांक 31 दिसम्बर, 2026 तक सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, 30प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- (19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/अभियंता उत्तरदायी होंगे।
- (20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
- (21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0 सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाये।
- (22) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-457/21, दिनांक 30.06.2021 तथा यथा-संशोधित शासनादेश संख्या-1125/नौ-9-2025/45/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 एवं संख्या-1124/नौ-9-2025/45ज/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
- (23) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021920500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-534-X-2025-26, दिनांक- 24 मार्च, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by  
SANJAY KUMAR TIWARI भवदीय,  
Date: 24-03-2026  
19:42:09

(संजय कुमार तिवारी)  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-416/2026/आर0एफ0-4910/नौ-9-2026/002-ई-2026806, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, जनपद-जौनपुर एवं अमेठी।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
9. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
10. पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2025-2026  
आवंटन दिनांक-24/03/2026

प्रेषण संख्या:- 416  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-416-2026-RF491-9-9-2026-002-E-2026806  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता  
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	जौनपुर-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 222315000	20000000 222315000
2	अमेठी-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	30000000 232315000	30000000 232315000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेइस करोड़ तेइस लाख पन्द्रह हजार

  
(देवेश मिश्र)  
संयुक्त सचिव